


कार्यालय, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।


पत्रांक 682 / नजारत अनु0 / निष्प्रयोज्य वाहन पत्रा0 / 2020-21

दिनांक 4.11-2020

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण के 03 वाहनों का "जहां है जैसे है" के आधार पर बोली द्वारा नीलाम किया जाना प्रस्तावित है। नीलामी दिनांक 18.11.2020 को पूर्वान्ह 12.00 बजे प्राधिकरण कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में होनी निश्चित हुई है। इच्छुक बोलीदाता को जमानत के रूप में प्रत्येक वाहन की बोली हेतु रू0 10,000-00 प्रति वाहन के लिए एफडीआर/सीडीआर जो सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पक्ष में बन्धक हो, जमा करानी आवश्यक होगी। शेष शर्तें प्राधिकरण की वेबसाईट www.mddaonline.in में देखी जा सकती है।


नजारत प्रभारी



कार्यालय, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

वाहन नीलामी शर्तें

1. वाहन "जहां है जैसे है" के आधार पर नीलाम किया जाना है।
2. वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्राधिकरण कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक किया जा सकता है।
3. वाहन का न्यूनतम मूल्य निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	वाहन संख्या	मॉडल	न्यूनतम नीलामी मूल्य, विज्ञापन दर एवं जी०एस०टी०
1.	यू० ए० 07 क्यू 5001 (एम्बेस्डर कार)	03.02.2007	रु० 48,500-00 + रु० 20,000-00 = रु० 68,500-00 + GST
2.	यू० के० 07 जीए 0830 (मारुति एसएक्स 4)	07.06.2011	रु० 67,000-00 + रु० 20,000-00 = रु० 87,000-00 + GST
3.	यू० के० 07 वी 0878 (महिन्द्रा बुलेरो)	18.03.2008	रु० 1,06,956-00 + रु० 20,000-00 = रु० 1,26,956-00 + GST

4. इच्छुक बोलीदाता को पृथक पृथक से प्रत्येक वाहन की नीलामी हेतु रु० 10,000-00 प्रति वाहन की जमानत राशि सीडीआर/एफडीआर जो सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के नाम बन्धक हो, बोली बोलने से पूर्व समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।
5. नकद धनराशि स्वीकार्य नहीं होगी। इच्छुक बोलीदाता अपनी जमानत राशि नज्जारात अनुभाग में दिनांक 05.11.2020 से दिनांक 17.11.2020 तक जमा कर सकते हैं। तत्पश्चात् दिनांक 18.11.2020 को पूर्वान्ह 12.00 बजे प्राधिकरण सभागार में नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी। वाहन नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में नज्जारात अनुभाग से ज्ञात की जा सकती है।
6. नीलामी की प्रक्रिया दिनांक 18.11.2020 को पूर्वान्ह 12.00 बजे प्राधिकरण सभागार में प्रारम्भ कर दी जायेगी।
7. उच्चतम बोलीदाता को कुल मूल्य, स्वीकृति आदेश के तीन दिन के अर्न्तगत जमा कराया जाना अनिवार्य होगा तथा तत्काल वाहन को उठाना होगा अन्यथा की स्थिति में कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
8. असफल बोलीदाता की जमानत राशि दो सप्ताह के अर्न्तगत वापस कर दी जायेगी।
9. सफल बोलीदाता को आधार कार्ड अथवा वोटरकार्ड तथा पैन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाता के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नीलामी सभागार कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
10. प्राधिकरण कर्मचारी/अधिकारी तथा उनके पारिवारिक सदस्य नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
11. सफल बोलीदाता को नीलामी बोली राशि के अतिरिक्त विज्ञापन शुल्क व जीएसटी जमा कराना होगा।
12. बिक्री के पश्चात् स्वामित्व परिवर्तन से सम्बन्धित शुल्क इत्यादि क्रेता को स्वयं वहन करने होंगे।
13. प्राधिकरण को बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार होगा। सर्वाधिकार उपाध्यक्ष महोदय के पास सुरक्षित रहेंगे।
14. समस्त विवादों का क्षेत्राधिकार देहरादून न्यायालय परिक्षेत्र में मान्य होगा।